

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)**

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
35/18	188 R-18	बंवर	खैरपुर
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
दपाराम	बनाम	राज	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
18/5/18	<p>वकील द्वारा एक अन्तर्गत धारा 188 R-18 विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरिता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर नंबर जर्न सम्मन पीठासीन अधिकारी को तलब कर प्रकरण दिनांक 2/7/18 को पेश है।</p>	
27/18	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/8/18 को पेश हो।</p> <p align="center">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
18/8/18	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 5/9/18 को पेश हो।</p> <p align="center">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
5/9/18	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22-10-18 को पेश हो।</p> <p align="center">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
22/10/18	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/11/2019 को पेश हो।</p> <p align="center">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
19/2/19	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13-3-19 को पेश हो।</p> <p align="center">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

**कार्यवाही एवं आदेश**

दिनांक  
23<sup>02</sup>/<sub>21</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी उपस्थित। तलवी/तलवाना पेश नहीं। पूर्व के कई बार अंतिम अवसर दिजे गये। फिर भी तलवाना पेश नहीं किया। एक बार कोर अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वाले तलवी/तलवाना दिनांक 24/3/21 को पेश हो।

24/3/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी अनुपस्थित। प्रकरण वर्ष 2018 से तलवी में लगभग 3 तलवी पेश नहीं किया। सोफ हो जमावदी को प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। जिसके कारण प्रमाण न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। पूर्वमें कई अवसर दिये जा चुके हैं। वकील प्राणी अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रमाण अदालत हाथी अदालत में रवी कार्रवाई किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिकल दफ्तर हो।